दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) के फ्लैट के स्वामित्व के परिवर्तन पर समाचार पत्र में प्रकाशित खबर

634. **श्री गया सिंह :**
श्री चतुरानन मिश्र :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 नवम्बर, 1994 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ओनरशिप चेन्ड ओल्ड कपल डिप्राइवड आफ फ्लैट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि दिलशाद गार्डन में एक एम.आई.जी. फ्लैट नं० सी-2/एफ-2 प्रारंभ में श्रीमती सुरिन्द्र कुमारी को आवंटित किया गया था। दि.वि.प्रा. के फ्लैटों को लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन बाबत भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना एक साधारण मुख्तार-नामा धारक श्री अजय श्रीवास्तव ने अपेक्षित दस्तावेजों सहित इस फ्लैट के परिवर्तन हेतु आवेदन किया। निर्धारित जांच-पड़ताल के पश्चात, इस मामले में श्री अजय श्रीवास्तव के नाम में लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन की अनुमति दे दी गई थी।

तत्पश्चात, श्रीमती सुरिन्द्र कुमारी ने एक आवेदन पत्र दिया और आरोप लगाया कि दि.वि.प्रा. ने उक्त फ्लैट के परिवर्तन की अनुमति जाली दस्तावेजों के आधार पर दी है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके तथा श्री अजय श्रीवास्तव, जोकि उक्त फ्लैट में उनका किरायेदार है, के बीच सिविल कोर्ट में एक मामला लम्बित है। अन्ततः श्रीमती सुरिन्द्र ने दि.वि.प्रा. से श्री अजय श्रीवास्तव के पक्ष में जारी किये गये अन्तरण विलेख को रद्द करने का अनुरोध किया है। निम्नलिखित कारणों से अभी तक उसे रद्द नहीं किया गया है :—

(1) इस परिवर्तन मामले संबंधी फाइल गायब है। इस बाबत 30-3-94 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले बाबत पुलिस की रिपोर्ट भी प्रतीक्षित है।

(2) दस्तावेजों के जाली होने बाबत जांच की जानी है। अभी तक हस्तलेख विशेषज्ञ की राय नहीं ली गई है।

(3) श्रीमती सुरिन्द्र कुमारी ने धोखाधड़ी के आरोप बाबत पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई है। इस संबंध में पुलिस जांच का निष्कर्ष अभी ज्ञात नहीं है।

(4) कानूनी परामर्श यह है कि दि.वि.प्रा. द्वारा अन्तरण विलेख रद्द किये जाने से पूर्व श्रीमती सुरिन्द्र कुमारी को अपने अधिकारों बाबत न्यायालय से निर्णय लेना चाहिए।

(5) दि.वि.प्रा. द्वारा जारी किए गए नोटिस के उत्तर में, श्री अजय श्रीवास्तव ने बताया है कि श्रीमती सुरिन्द्र कुमारी ने यह फ्लैट उन्हें बेच दिया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू. डी.) द्वारा सुपर बाजार का रख-रखाव

635. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी :**
श्री दिलीप सिंह जूदेव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सुपर बाजार की आवंटित भवनों की मरम्मत/परिवर्तन करने का कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे किए गए स्थानवार कार्यों का वर्षवार ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी राशि व्यय की गई ;

(ग) किस प्राधिकार के अंतर्गत इस तरह के अतिरिक्त निर्माण करने/परिवर्तन करने के कार्य किए गए ;

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी आवासों के रख-रखाव के लिए व्यय की जाने वाली अनुरक्षण निधि से अतिरिक्त निर्माण परिवर्तन करने के अनधिकृत कार्य की जांच कराने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थंगन) : (क) अन्य अस्पताल भवनों के साथ-साथ सफदरजंग तथा डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल परिसरों में स्थित दोनों सुपर बाजारों का दैनिक रखरखाव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। तथापि, सुपर बाजार परिसरों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई भारी परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) यद्यपि सुपर बाजारों का दैनिक रखरखाव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा परन्तु उस पर होने वाले खर्च से अस्पताल परिसर के अनुरक्षण लेखा शीर्ष में डाला जाता है। अस्पताल परिसर में स्थित सुपर बाजार के रखरखाव के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई पृथक खाता नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सैनिक फार्म क्षेत्र पर बंगलों का निर्माण

636. श्री **प्रमोद महाजन** : क्या **शहरी विकास** मंत्री 12 मार्च, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2259 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक फार्म क्षेत्र में अभी तक किए गए अनधिकृत निर्माण का ब्यौरा क्या है ;

(ख) अनधिकृत निर्माण को न करने देने को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारी कदम उठाए गए ;

(ग) अनधिकृत निर्माण को नष्ट करने के लिए तत्काल कदम क्यों नहीं उठाए गए ;

(घ) अभी तक कितने अनधिकृत निर्माण नियमित किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं और कितने अनधिकृत निर्माणों को नष्ट किया जाना है ;

(ङ) एम.सी.डी./डी.डी.ए. के उन कर्मचारियों जिसकी जांच पड़ताल के पश्चात मामले में मिली भगत स्थापित की गई के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या ऐसे कोई मामले हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा स्थगन-आदेश दिया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) स्थागन-आदेश को खारिज करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थूंगन) :(क) से (घ) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि 1-1-1990 से सैनिक फार्म में अनाधिकृत निर्माण के 226 मामलों का पता लगाया गया है। इस अवधि के दौरान दिल्ली नगर निगम द्वारा किसी अनाधिकृत निर्माण/ढांचे को नियमित नहीं किया गया है।

अनाधिकृत निर्माण का पता लगते ही डी.एम.सी. अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की जाती है और चालू अवस्था में ही अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि इस प्रश्न की विषय-वस्तु दिल्ली नगर निगम से संबंधित है। दिल्ली नगर निगम ने शून्य जानकारी भेजी है।